

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013” के नियम 30 (2) एवं (3) के क्रम में परियोजना निदेशक, वाराणसी के पत्र संख्या: 11015/5/पी0डी0 वाराणसी/रा0रा0 56 लेन/2015-16/17878 दिनांक: 16.05.2015 के अनुसार नई व्यवस्था में भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में, परिशिष्ट-3

विक्रय विलेख संख्या: 01 के आधार पर दर प्रति हेक्टेयर (2,50,00,000.00) ग्राम-नरहरपुर, परगना-चांदा तहसील-लम्भुआ जनपद-सुलतानपुर।

अर्जित क्षेत्रफल	दर प्रति हेक्टेयर	प्रतिकर	परिसम्पत्तियों का विवरण (मूल्यांकन)		भू0 अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-30(3) के अनुसार धारा-3ए के प्रकाशन तिथि 23.10.2012 से अभिनिर्णय की तिथि 05.05.2015 कुल 923 दिन का 12% अतिरिक्त प्रतिकर	योग (3+4+5+6)	प्रतिफल 100%	फैक्टर		सम्पूर्ण योग (7+8+9+10)
			बृक्ष	भवन आदि				कालम-3 का नगरीय क्षेत्र में एक गुना	कालम-3 का ग्रामीण क्षेत्र में दो गुना	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1.8238	2,50,00,000.00	4,55,95,000.00	3,05,762.00	2,16,64,770.00	2,05,02,900.00	8,80,68,432.00	8,80,68,432.00	—	8,80,68,432.00 X2 =17,61,36,864.00	35,22,73,728.00
0.0458 (धारा143 के आधार पर)	6,30,00,000.00	28,85,400.00	—	10,66,114.00	11,99,095.00	51,50,609.00	51,50,609.00	—	51,50,609.00 X2 =1,03,01,218.00	2,06,02,436.00
1.8696	—	4,84,80,400.00	3,05,762.00	2,27,30,884.00	2,17,01,995.00	9,32,19,041.00	9,32,19,041.00	—	18,64,38,082.00	37,28,76,164.00
रू0 सैतीस करोड, अठाइस लाख, छिहत्तर हजार, एक सौ चौसठ मात्र										

पूँजीकृत मूल्य:-मालगुजारीX40गुना,
73.43X40=2,937.20 यानि=2,937.00
(रूपया, दो हजार, नौ सौ, सैतीस मात्र)

(रामचन्द्र सरोज)
अपर उप जिलाधिकारी-सदर/
सक्षम प्राधिकारी, सुलतानपुर।